भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1175

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026/21 माघ, 1947 (शक)

<u>8वां केंद्रीय वेतन आयोग</u>

1175. श्री घनश्याम तिवाड़ी:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्रीमती संगीता यादव:
श्री बृज लाल:
श्री शंभू शरण पटेल:
डॉ. दिनेश शर्मा:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री चुन्नीलाल गरासिया:
श्री अमर पाल मौर्य:
श्री नरहरी अमीन:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री बाबू राम निषाद:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन तथा सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वेतन आयोग द्वारा वेतनमान, भत्तों और पेंशन संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं;

(ग) वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोडमैप क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(<u>श्री पंकज चौधरी</u>)

(क) से (ग): सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन हेतु दिनांक 03.11.2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, जो इसके गठन के 18 महीने के भीतर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मामलों जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा।

(घ): 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा।
